Email
Time 1:34
Date 12-9-25

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 11-09-2025

क्रमांक F-1/1/4/0018/2025-Sec-1-10(FOR):: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.06.2025 द्वारा श्रीमती तुष्टि सिंह, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी, गोरबी सामान्य वनमंडल सिंगरौली से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर, सामान्य वनमंडल दक्षिण शहडोल में पदस्थ किया गया है, जिसके विरूद्ध श्रीमती तुष्टि सिंह द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 23553/2025 में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 14.07.2025 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

- Considering the aforesaid, without expressing any opinion on the merits, the petition stands disposed of petition stands disposed of with direction that if the petitioner prefers a fresh representation along with a certified copy of this order within a period of 7 working days from today before respondent No. 2/additional Secretary, respondent No. 2, in turn, shall take decision thereon within a further period of 3 weeks by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law while extending opportunity of hearing to the petitioner as well as respondent No.5.
- For a period of 30 days or till the decision on the representation of the petitioner (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue at his present place of posting i.e. Gorbi Forest Division Singrauli.
- It is made clear that if the fresh representation is not submitted by the petitioner within a period of 7 days in terms of this order, this order shall lose its efficacy without further reference to the Bench.

2/ मान. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में श्रीमती तुष्टि सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 16.07.2025 में उन्होंने मुख्यतः लेख किया है कि उनके दो छोटे बच्चे हैं, बड़ा बेटा सिंगरौली के सीबीएसई बोर्ड के इंगलिश मीडियम स्कूल कक्षा 4 में पढ़ता है। वन परिक्षेत्र जैतपुर के पास कोई भी इंगलिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं होने से उनके बच्चे की शिक्षा अत्यंत प्रभावित होगी। उनकी दूसरी बच्ची 2 साल की है जिसकी देखरेख एवं पारिवारिक जिम्मेदारी में सहयोग के लिए उनके पति जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं के द्वारा ट्रांसफर लेकर उनकी वर्तमान पदस्थिति वन परिक्षेत्र गोरबी सामान्य वनमंडल सिंगरौली के पास उत्तर प्रदेश बार्डर के नजदीक ब्रांच औडी मोड शाखा अनपरा सोनभद्र में अपनी पदस्थिति पारिवारिक परिस्थितियों को महत्व देते हुए कराई गई है एवं एक साल के अंदर ही उनकी

पदस्थिति कार्य आयोजना इकाई में होना निश्चित है जिससे पुनः उनकी पदस्थिति अन्यत्र हो जाएगी। जिस कारण साल भर के अन्दर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों की पढ़ाई स्कूल बदलने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न करेगा।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एवं म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के राजपत्र दिनांक 16.01.2018 अनुसार "शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथा संभव एक स्थन पर पदस्थ किया जावेगा।" के अनुसार उनके अभ्यावेदन पर सद्भावना पूर्वक पुर्नविचार किया जावें।

3/ प्रकरण में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सिंह परिक्षेत्र अधिकारी गोरबी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली में माह 11/2020 से पदस्थ हैं। श्रीमती सिंह के पति की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन के बाहर की है। स्थानांतरण नीति में मध्यप्रदेश शासन के अधीनस्थ कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव जिले में रखने को प्राथमिकता दी गई है, नीति प्रदेश के बाहर पदस्थ व्यक्ति हेतु नहीं है। वनक्षेत्रपालों को कार्य आयोजना में भेजने हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य शासन आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से वरिष्ठता अनुसार वनक्षेत्रपालों को कार्य आयोजना में पदस्थ करता है। अतः प्रतिवादी का अभ्यावेदन मान्य योग्य नहीं है।

4/ प्रतिवादी क्रमांक 5 श्री अभिषेक सिंह, वनक्षेत्रपाल को शासन आदेश दिनांक 17.06.2025 द्वारा वन परिक्षेत्र बजाग सामान्य वनमंडल डिण्डोरी से वन परिक्षेत्र गोरबी सामान्य वनमंडल सिंगरौली में पदस्थापना की गई है। श्री अभिषेक सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों चलते परिक्षेत्र गोरबी सामान्य वनमंडल सिंगरौली में हुई पदस्थिति को परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया, परंतु श्री अभिषेक सिंह, वनक्षेत्रपाल अपनी नवीन पदस्थिति अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी, गोरबी सामान्य वनमंडल सिंगरौली में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 5का अभ्यावेदन मान्य योग्य नहीं है।

5/ . वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी की पदस्थापना पर विचार कर सकता हैं।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा समग्ररूप से विचारोपरांत श्रीमती तुष्टि सिंह, वनक्षेत्रपाल एवं श्री अभिषेक सिंह, वनक्षेत्रपाल के अभ्यावेदनो को अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 11-09-2025
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0018/2025-Sec-1-10**, भोपाल दिनांक **11-09-2025**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल, तत्काल भारमुक्त करने हेतु.
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) भोपाल।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश की ओर संबंधित वन क्षेत्रपाल को तत्काल भारमुक्त करने हेतु ।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) भोपाल तत्काल भारमुक्त होवे

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल

(शाखा-प्रशासन-II)

पृ.क्र./प्रशा-II/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 5008 भोपाल दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा/शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल दक्षिण शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्रीमती तुष्टि सिंह, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित ~~करें।~~ करें का कष्ट करें।
5. श्रीमती तुष्टि सिंह, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

कक्ष / कर्मचारी का नाम

श्री ...

अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

(संजय पाठक)

उप वन संरक्षक(प्रशा-II)

मध्यप्रदेश भोपाल